

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

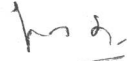
क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-52) अलेसे-1/ 158

दिनांक:- 10/06/19

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत श्री वेदप्रकाश चिमनानी, (सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2015) सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को मुख्यमंत्री कार्यालय में उपलब्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद पर दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पे-पेंशन (Pay Minus Pension) के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 29.05.2019 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक प.38(7)मु.मं./सहा./2019 दिनांक 22.05.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

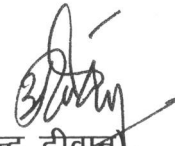

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-52) अलेसे-1/ 158

दिनांक:- 10/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 29.05.2019 के क्रम में।
- 4 वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 कोषाधिकारी, कोषालय सचिवालय, जयपुर।
- 6 श्री वेद प्रकाश चिमनानी, (सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1) मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
- 8 निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)